न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D- 36 / 2017 श्री बद्रीलाल बनाम श्री भेरूसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11–04–2018	अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी आमेट दिनांक 15–05–2017 प्रकरण संख्या 01 / 2017 रेवेन्यू वाद ——— उपस्थित :– 1– श्री सम्पतलाल बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट 2– राजकीय अधिवक्ता –––/––– वकील अपीलान्ट व जी.ए. उपस्थित। प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 के अधिवक्ता तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 दौराने बहस अनुपस्थित रहे है। प्रकरण में सुनी गई बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस तथा अपील उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री दिनांक 13–4–2017 की पालना में तहसीलदार आमेट से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये परन्तु तहसीलदार आमेट द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वयं तैयार नहीं किये गये इसके विपरित पटवारी हल्का द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव अधिनस्थ न्यायालय में प्रेषित किये। वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरें R.R.T. 2011–12 (Supp) पेज 698 तथा R.R.T. 2017 पेज 689 अनुसार इस प्रकार अधिकृत अधिकारी से पृथक अधिकारी द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव अविधिक है। प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाते समय अपीलान्ट वादी को सुचित भी नहीं किया गया है व प्राप्त प्रस्तावों पर उसे सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है, जो भी विधि एवं प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 15–5–2017 प्राकृतिक न्याय एवं स्थापित विधि के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–5–2017	

अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में तहसीलदार आमेट स्वयं से R.R.T. 2017 (1) पेज 689 वर्णित प्रक्रिया अनुसार उभयपक्ष को सूचित कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाय तथा प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका विधिक निस्तारण कर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12–6–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11–04–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री गणेश लाल नागदा पिता
श्री कालूलाल नादा निवासी
पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल
के पास शोभागपुा स्कूल के सामने
तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल
कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा
उदयपुर (राज0)
अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84 / 2012 बनाराजगी डिगरी अदालत ..... सहायक कलक्टर मु0.....
..... उदयपुर ..... मुकाम मुक्र्खे.....27..... माह .....02..... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... 15..... माह .....06..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15..... माह ...06..... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री गांगा पिता देवा डांगी निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य –2	**बनाम**	श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य–6

अपील मूत नं0 3 / 2015 बनाराजगी डिगरी अदालत .....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी .....उदयपुर ..... मुकाम मुक्र्खे.....08..... माह .....07..... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... 25..... माह .....05..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि ..... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46 / 2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.800 हैक्टर लिपिकीय / टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14..... माह ...06..... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील ..... 6. स्टाम्प वकालत नामा..... 7. इजराय हुक्मनामा ..... 8. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।